भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1320
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि व्यवसाय कार्यक्रमों की स्थिति
1320. डॉ. लता वानखेड़ेः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में कृषि व्यवसाय कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) वर्तमान में चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;
(ग) उक्त कार्यक्रमों से देश के किसानों को कितना लाभ प्राप्त हुआ; और
(घ) युवाओं को कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) देश में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है।

(i) वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर तथा देश में इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को पोषित कर नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन सहायता और स्टार्ट-अप के इनक्यूबेशन के लिए देश भर में पांच नॉलेज पार्टनर (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) नियुक्त किए हैं।

(ii) कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र योजना (एसी और एबीसी) अप्रैल **2002** से राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)**,** हैदराबाद और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातकों को अपने स्वयं के कृषि-उद्यम शुरू करने और किसानों को विस्तार सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। मैनेज**,** हैदराबाद देश भर में फैले अपने **87** नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नोडल एजेंसी है।

(ग): (i) "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उद्यमियों को अपने स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए, छात्र को विचार को व्यवसाय में बदलने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, कार्यक्रम के तहत विचार/ प्री सीड स्टेज में 5.00 लाख रुपये और सीड स्टेज में 25 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। स्टार्टअप को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने और व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने की सुविधा के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत नियुक्त नॉलेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर द्वारा 4800 से अधिक कृषि-स्टार्टअप को प्रशिक्षित किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अब तक 1708 कृषि स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिनमें 448 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप शामिल हैं।

(ii) कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रीय योजना के तहत, 18 से 60 वर्ष की आयु के चयनित उम्मीदवार, जिनके पास कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक की डिग्री है, वे देश भर के विभिन्न नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) से 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऋण और क्रेडिट से जुड़ी बैक एंडेड कंपोजिट सब्सिडी के लिए सहायता और सुविधा प्रदान की जाती है। सब्सिडी उद्यमियों द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली विस्तार सेवाओं से जुड़ी है और यह महिलाओं, एससी/एसटी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए परियोजना लागत का 44% और सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 36% होगी। कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी और एबीसी) योजना की शुरुआत से अब तक कुल 90,540 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 40,285 ने देश में अपने कृषि-उद्यम स्थापित किए हैं।

(घ): युवाओं को कृषि में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 'युवाओं को कृषि में आकर्षित करना और बनाए रखना (आर्या)' नामक परियोजना शुरू की है, जो 100 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में चल रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान मशरूम उत्पादन, फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, बागवानी नर्सरी, संरक्षित खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन और वर्मीकंपोस्टिंग इकाइयों से संबंधित 4036 उद्यमशील इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिनसे 6079 ग्रामीण युवा लाभान्वित हुए। केवीके ने 815 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे 19870 युवा लाभान्वित हुए हैं।

सरकार राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), आईसीएआर-एनएएआरएम और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि व्यवसाय से संबंधित उपयुक्त प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। कृषि स्नातकों को कृषि-व्यवसाय क्षेत्र के लिए टेक्नो-मैनेजर बनाने के लिए मैनेज वर्ष 1996 से एक वर्षीय पाठ्यक्रम, कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम) और प्रबंधन (कृषि-व्यवसाय प्रबंधन) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम-एबीएम) प्रदान करता है।

आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद वर्ष 2009 से दो वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम के रूप में प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि-व्यवसाय प्रबंधन) (पीजीडीएम-एबीएम) की पेशकश कर रहा है।

वर्तमान में, देश में 24 कृषि एवं संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय एमएससी (कृषि) कृषि-व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम चला रहे हैं तथा 08 कृषि विश्वविद्यालय पीएचडी कृषि-व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए युवाओं की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

*****